

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: /ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19

दिनांक: 31 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 101/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के क्रम में दिनांक 17.04.2018 को जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है0 उपखनिज लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र (मैदानी क्षेत्र के 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लॉट हेतु) संख्या 10_UNNS_Ukroli_Kailash Nadi_12.344ha/भू0खनि0ई0/ई0निविदा0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, के द्वारा मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख के उपखनिज क्षेत्र को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के विज्ञापित संख्या 557/VII-1/2018/46 ख/17, दिनांक 09 मार्च, 2018 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक बोलीदाताओं हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की गयी थी।

उक्त क्षेत्रों की ई-निविदा पूर्व घोषित दिनांक के अनुसार दिनांक 11.05.2018 को खोली गयी। प्रतिभागी आवेदकों की तकनीकी ई-निविदा खोले जाने पर ई-निविदा सह ई-नीलामी समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि एक प्रतिभागी श्री अब्दुल अलीम द्वारा प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र श्री अब्दुल अलीम के नाम से न होने के कारण समिति द्वारा श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा अस्वीकृत कर ई-निविदा सह ई-नीलामी का परिणाम दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया गया तथा क्वांटिटी बिड पूर्व निर्धारित दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी, जिसमें ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है0 हेतु अधिकतम बिड 1,85,160 टन प्राप्त हुई।

तकनीकी ई-निविदा का परिणाम दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये :-

“The Hon’ble Court has directed the respondents not to open the financial bid and to list the matter on 30th May, 2018 and also directed the respondents to file counter affidavit till the next date of listing i.e. on 30th May, 2018.”

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के समादर में कार्यालय आदेश संख्या 434/रिट/मा0 न्यायालय/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है0 उपखनिज लॉट की खोली गयी क्वांटिटी बिड दिनांक 21.05.2018 के क्रम में की जानी वाली अग्रेत्तर कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2018 के अनुपालन में स्थगित रखा गया।

श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 की सत्यप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

Petitioner has been able to show enough proof before this court that he furnished the financial capacity of his father and has submitted the solvency certificate as per the conditions of tender. Therefore, the declaration that the petitioner was non-responsive seems to be arbitrary.

This writ petition is allowed. Respondent state shall proceed with the auction proceedings and shall also consider the bids of the petitioner in accordance with law. Interim order dated 22-05-2018 stands vacated.

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर में ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है० की द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की कार्यवाही किये जाने हेतु एवं उक्त प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा स्वीकार करते हुए श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खलीक, निवासी अब्दुला बिल्डिंग बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उपखनिज लॉटों की अग्रेत्तर की जानी वाली द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद उधमसिंहनगर स्थित उपरोक्त वर्णित उपखनिज लॉट ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है० हेतु दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी क्वान्टिटी बिड के समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है० के लिये उपखनिज की अधिकतम बिड 1,85,160 टन निम्नवत् प्राप्त हुई है :-

तालिका-1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री पुनीत कुमार गोयल	40496 M180505144918457	1,85,160 टन
2.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40634 M180508134832147	1,85,160 टन
3.	श्री राजेश शर्मा	40685 M180504173001340	1,85,160 टन
4.	श्री विष्णु बंसल	40728 M180505114012580	1,85,160 टन

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार "प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।"

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 21.05.2018 को खोली गई क्वान्टिटी बिड में प्राप्त बिडस के आधार पर तथा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में श्री अब्दुल अलीम को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण (ई-निविदा) हेतु सफल घोषित किया जाता है तथा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.334 है० हेतु अधिकतम उपखनिज की मात्रा 1,85,160 टन घोषित की जाती है :-

तालिका-2

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री पुनीत कुमार गोयल	40496 M180505144918457	1,85,160 टन
2.	श्री अब्दुल अलीम	40628 M180320171553760	मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में सम्मिलित।
3.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40634 M180508134832147	1,85,160 टन
4.	श्री राजेश शर्मा	40685 M180504173001340	1,85,160 टन
5.	श्री विष्णु बंसल	40728 M180505114012580	1,85,160 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख क्षेत्रफल 12.334 है० हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))
1,85,160 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख क्षेत्रफल 12.334 है० हेतु द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))

= 1,85,160 X 70 = ₹ 1,29,61,200.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख इक्सठ हजार दो सौ मात्र)।

अतः जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त निजी नाप भूमि वर्ग ख क्षेत्रफल 12.334 है० हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार प्रथम चरण की वित्तीय बोली का परिणाम एवं द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 1,29,61,200.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख इक्सठ हजार दो सौ मात्र) घोषित किया जाता है। उपरोक्त तालिका-2 में इंगित समस्त (पांच) बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु एतद्वारा पात्र घोषित किया जाता है। द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु समय सारणी एवं दिशा-निर्देश शीघ्र विज्ञापित किये जायेंगे।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

संख्या: /ई०निविदा० सह ई०नीला०/भू०खनि०ई०/2018-19, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को वाद संख्या 1442/एम०एस०/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
2. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को वाद संख्या 1442/एम०एस०/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
3. ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु गठित समिति।
4. समस्त आवेदक/निविदाकार।
5. सम्बन्धित पत्रावली।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 1019 / ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19

दिनांक: 31 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 101/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के क्रम में दिनांक 17.04.2018 को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है0 उपखनिज लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र (मैदानी क्षेत्र के 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लॉट हेतु) संख्या 006_UNs_Ukroli_Kailash Nadi_12.894 ha/भू0खनि0ई0/ई0निविदा0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, के द्वारा मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त वर्ग 6(1) आकृषिक भूमि जलमग्न राजस्व भूमि के उपखनिज क्षेत्र को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के विज्ञापित संख्या 557/VII-1/2018/46 ख/17, दिनांक 09 मार्च, 2018 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक बोलीदाताओं हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की गयी थी।

उक्त क्षेत्र की ई-निविदा पूर्व घोषित दिनांक के अनुसार दिनांक 11.05.2018 को खोली गयी। प्रतिभागी आवेदकों की तकनीकी ई-निविदा खोले जाने पर ई-निविदा सह ई-नीलामी समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि एक प्रतिभागी श्री अब्दुल अलीम द्वारा प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र श्री अब्दुल अलीम के नाम से न होने के कारण समिति द्वारा श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा अस्वीकृत कर ई-निविदा सह ई-नीलामी का परिणाम दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया गया तथा क्वांटिटी बिड पूर्व निर्धारित दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी, जिसमें ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है0 हेतु अधिकतम बिड 193410 टन प्राप्त हुई।

तकनीकी ई-निविदा का परिणाम दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये :-

“The Hon'ble Court has directed the respondents not to open the financial bid and to list the matter on 30th May, 2018 and also directed the respondents to file counter affidavit till the next date of listing i.e. on 30th May, 2018.”

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के समादर में कार्यालय आदेश संख्या 434/रिट/मा0 न्यायालय/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है0 उपखनिज लॉट की खोली गयी क्वांटिटी बिड दिनांक 21.05.2018 के क्रम में की जानी वाली अग्रेत्तर कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2018 के अनुपालन में स्थगित रखा गया।

श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 की सत्यप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

Petitioner has been able to show enough proof before this court that he furnished the financial capacity of his father and has submitted the solvency certificate as per the conditions of tender. Therefore, the declaration that the petitioner was non-responsive seems to be arbitrary.

This writ petition is allowed. Respondent state shall proceed with the auction proceedings and shall also consider the bids of the petitioner in accordance with law. Interim order dated 22-05-2018 stands vacated.

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर में ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है० की द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की कार्यवाही किये जाने हेतु एवं उक्त प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा स्वीकार करते हुए श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खलीक, निवासी अब्दुला बिल्डिंग बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उपखनिज लॉटों की अग्रेत्तर की जानी वाली द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद उधमसिंहनगर स्थित उपरोक्त वर्णित उपखनिज लॉट ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है० हेतु दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी क्वान्टिटी बिड के समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है० के लिये उपखनिज की अधिकतम बिड 193410 टन निम्नवत् प्राप्त हुई है :-

तालिका-1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री पुनीत कुमार गोयल	40541 M180505144918457	1,93,410 टन
2.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40602 M180508134832147	1,93,410 टन
3.	श्री राजेश शर्मा	40681 M180504173001340	1,93,410 टन
4.	श्री विष्णु बंसल	40726 M180505114012580	1,93,410 टन

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार "प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।"

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 21.05.2018 को खोली गई क्वान्टिटी बिड में प्राप्त बिड्स के आधार पर तथा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में श्री अब्दुल अलीम को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण (ई-निविदा) हेतु सफल घोषित किया जाता है तथा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 12.894 है० हेतु अधिकतम उपखनिज की मात्रा 1,93,410 टन घोषित की जाती है :-

तालिका-2

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री पुनीत कुमार गोयल	40541 M180505144918457	1,93,410 टन
2.	श्री अब्दुल अलीम	40600 M180320171553760	मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में सम्मिलित।
3.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40602 M180508134832147	1,93,410 टन
4.	श्री राजेश शर्मा	40681 M180504173001340	1,93,410 टन
5.	श्री विष्णु बंसल	40726 M180505114012580	1,93,410 टन


जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, के रिक्त वर्ग 6(1) आकृषिक भूमि जलमग्न राजस्व भूमि क्षेत्रफल 12.894 है0 हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))

1,93,410 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, के रिक्त वर्ग 6(1) आकृषिक भूमि जलमग्न राजस्व भूमि क्षेत्रफल 12.894 है0 हेतु द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))

= 1,93,410 X 70 = ₹ 1,35,38,700.00 (₹ एक करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ मात्र)।

अतः जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, के रिक्त वर्ग 6(1) आकृषिक भूमि जलमग्न राजस्व भूमि क्षेत्रफल 12.894 है0 हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार प्रथम चरण की वित्तीय बोली का परिणाम एवं द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 1,35,38,700.00 (₹ एक करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हजार सात सौ मात्र) घोषित किया जाता है। उपरोक्त तालिका-2 में इंगित समस्त (पांच) बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु एतद्वारा पात्र घोषित किया जाता है। द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु समय सारणी एवं दिशा-निर्देश शीघ्र विज्ञापित किये जायेंगे।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

संख्या: /ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
2. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
3. ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु गठित समिति।
4. समस्त आवेदक/निविदाकार।
5. सम्बन्धित पत्रावली।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: /ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19

दिनांक: 31 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 101/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के क्रम में दिनांक 17.04.2018 को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0 उपखनिज लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र (मैदानी क्षेत्र के 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लॉट हेतु) संख्या 08_UNNS_Ukroli_Kailash Nadi 29.805 ha/भू0खनि0ई0/ई0निविदा0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, के द्वारा मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त राजस्व भूमि वर्ग 6-4 के उपखनिज क्षेत्र को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के विज्ञापित संख्या 557/VII-1/2018/46 ख/17, दिनांक 09 मार्च, 2018 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक बोलीदाताओं हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की गयी थी।

उक्त क्षेत्र की ई-निविदा पूर्व घोषित दिनांक के अनुसार दिनांक 11.05.2018 को खोली गयी। प्रतिभागी आवेदकों की तकनीकी ई-निविदा खोले जाने पर ई-निविदा सह ई-नीलामी समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि एक प्रतिभागी श्री अब्दुल अलीम द्वारा प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र श्री अब्दुल अलीम के नाम से न होने के कारण समिति द्वारा श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा अस्वीकृत कर ई-निविदा सह ई-नीलामी का परिणाम दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया गया तथा क्वांटिटी बिड पूर्व निर्धारित दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी, जिसमें ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0 हेतु अधिकतम बिड 447075 टन प्राप्त हुई।

तकनीकी ई-निविदा का परिणाम दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये :-

“The Hon'ble Court has directed the respondents not to open the financial bid and to list the matter on 30th May, 2018 and also directed the respondents to file counter affidavit till the next date of listing i.e. on 30th May, 2018.”

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के समादर में कार्यालय आदेश संख्या 434/रिट/मा0 न्यायालय/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0 उपखनिज लॉट की खोली गयी क्वांटिटी बिड दिनांक 21.05.2018 के क्रम में की जानी वाली अग्रेत्तर कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2018 के अनुपालन में स्थगित रखा गया।

श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 की सत्यप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

Petitioner has been able to show enough proof before this court that he furnished the financial capacity of his father and has submitted the solvency certificate as per the conditions of tender. Therefore, the declaration that the petitioner was non-responsive seems to be arbitrary.

This writ petition is allowed. Respondent state shall proceed with the auction proceedings and shall also consider the bids of the petitioner in accordance with law. Interim order dated 22-05-2018 stands vacated.

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर में ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है० की द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की कार्यवाही किये जाने हेतु एवं उक्त प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक श्री अब्दुल अलीम की तकनीकी ई-निविदा स्वीकार करते हुए श्री अब्दुल अलीम पुत्र श्री अब्दुल खलीक, निवासी अब्दुला बिल्डिंग बरेली रोड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उपखनिज लॉटो की अग्रेत्तर की जानी वाली द्वितीय चरण (ई-नीलामी) की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद उधमसिंहनगर स्थित उपरोक्त वर्णित उपखनिज लॉट ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है० हेतु दिनांक 21.05.2018 को खोली गयी क्वान्टिटी बिड के समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है० के लिये उपखनिज की अधिकतम बिड 4,47,075 टन निम्नवत् प्राप्त हुई है :-

तालिका-1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री नितिन कुमार	40536 M180507111854450	447075 टन
2.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40629 M180508134832147	447075 टन
3.	श्री जितेन्द्र कुमार कॉन्ट्रेक्टर	40666 M171220125540863	447075 टन
4.	श्री राजेश शर्मा	40682 M180504173001340	447075 टन
5.	श्री विष्णु बंसल	40722 M180505114012580	447075 टन
6.	विवेन्द्र पाल सिंह	40724 M171228140742560	447075 टन

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार "प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।"

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 21.05.2018 को खोली गई क्वान्टिटी बिड में प्राप्त बिडस के आधार पर तथा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में श्री अब्दुल अलीम को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण (ई-निविदा) हेतु सफल घोषित किया जाता है तथा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है० हेतु अधिकतम उपखनिज की मात्रा 447075 टन घोषित की जाती है :-

तालिका-2

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई०डी०/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री नितिन कुमार	40536 M180507111854450	447075 टन
2.	श्री अब्दुल अलीम	40628 M180320171553760	मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में सम्मिलित।
3.	गुरुनानक इण्टरप्राइजेज	40629 M180508134832147	447075 टन

4.	श्री जितेन्द्र कुमार कॉन्ट्रेक्टर	40666 M171220125540863	447075 टन
5.	श्री राजेश शर्मा	40682 M180504173001340	447075 टन
6.	श्री विष्णु बंसल	40722 M180505114012580	447075 टन
7.	विरेन्द्र पाल सिंह	40724 M171228140742560	447075 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त राजस्व भूमि वर्ग 6-4 क्षेत्रफल 29.805 है० हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))
447075 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त राजस्व भूमि वर्ग 6-4 क्षेत्रफल 29.805 है० हेतु द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))
= 447075 X 70 = रू० 3,12,95,250.00 (रू० तीन करोड़ बारह लाख पिचानवें हजार दो सौ पचास मात्र)।

अतः जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, रिक्त राजस्व भूमि वर्ग 6-4 क्षेत्रफल 29.805 है० हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार प्रथम चरण की वित्तीय बोली का परिणाम एवं द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) रू० 3,12,95,250.00 (रू० तीन करोड़ बारह लाख पिचानवें हजार दो सौ पचास मात्र) घोषित किया जाता है। उपरोक्त तालिका-2 में इंगित समस्त (पांच) बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु एतद्वारा पात्र घोषित किया जाता है। द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु समय सारणी एवं दिशा-निर्देश शीघ्र विज्ञापित किये जायेंगे।

31/07/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

संख्या: /ई०निविदा० सह ई०नीला०/भू०खनि०ई०/2018-19, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को वाद संख्या 1442/एम०एस०/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
2. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को वाद संख्या 1442/एम०एस०/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में।
3. ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु गठित समिति।
4. समस्त आवेदक/निविदाकार।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या: 1022/ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19

दिनांक: 31 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 207/ई-निविदा सह ई-नीलामी/विज्ञापन/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 08 जून, 2018 के क्रम में दिनांक 09.06.2018 को जनपद हरिद्वार के 5.00 है0 से कम राष्ट्रीय स्तर के 12 उपखनिज लॉट तथा 5.00 है0 से 50.00 है0 तक राष्ट्रीय स्तर के 08 उपखनिज लॉट, कुल 20 लॉट, जनपद, पौड़ी गढ़वाल के 5.00 है0 से कम के 01 उपखनिज लॉट राज्य स्तर हेतु, 5.00 है0 से कम राष्ट्रीय स्तर हेतु 26 उपखनिज लॉट कुल 27 लॉट, जनपद पिथौरागढ़ के 5.00 है0 से कम राष्ट्रीय स्तर हेतु 01 उपखनिज लॉट, जनपद उत्तरकाशी के 5.00 है0 से कम के राष्ट्रीय स्तर के 02 उपखनिज लॉट एवं जनपद उधमसिंहनगर के 5.00 है0 से 50.00 है0 तक के राज्य स्तर हेतु 03 उपखनिज लॉट, 5.00 है0 से 50.00 है0 तक के राष्ट्रीय स्तर के 02 उपखनिज लॉट तथा 50.00 है0 से अधिक के राष्ट्रीय स्तर के 02 उपखनिज लॉट कुल 07 उपखनिज लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

जनपद हरिद्वार के उपरोक्त 5.00 है0 से कम के राष्ट्रीय स्तर के उपखनिज लॉटों में "जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त निजी नाप भूमि उपखनिज क्षेत्र, क्षेत्रफल 1.700 है0 भी सम्मिलित था।

जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त निजी नाप भूमि उपखनिज क्षेत्र, क्षेत्रफल 1.700 है0 को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के विज्ञापित संख्या 1577/VII-1/2017/46 ख/17, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक जनपद स्तर हेतु विज्ञापन 18.12.2017, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा विज्ञापन किया गया था। जनपद स्तर पर अर्ह निविदादाता/बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण राज्य स्तर हेतु विज्ञापन संख्या 76/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के द्वारा दिनांक 30.03.2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अर्ह निविदादाता/बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण यह लॉट कार्यालय ज्ञाप संख्या 131/भू0खनि0ई0/का0आ0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 26.04.2018 के द्वारा निरस्त किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27(11)(4) के अनुसार, अगले उच्च वर्ग राष्ट्रीय स्तर "भारतीय नागरिकों/फर्मों/सोसाईटी" आदि हेतु उपलब्ध था। अर्ह निविदादाता/बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण यह लॉट कार्यालय ज्ञाप संख्या 202/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/निरस्तीकरण/2018-19, दिनांक 01.06.2018 के द्वारा निरस्त किया गया। शासनादेश संख्या 607/VII-1/2018/46ख/17टीसी, दिनांक 12.04.2018 के द्वारा पुनः "भारतीय नागरिकों/ फर्मों/सोसाईटी" आदि हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र (मैदानी क्षेत्र के 5.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लॉट हेतु) संख्या 027_Haridwar_Rampur Raighati Ahatmal Lakshar_1.700 ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 09 जून, 2018, के द्वारा मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त निजी नाप भूमि उपखनिज क्षेत्र को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in पर ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के बोलीदाताओं हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की गयी थी।

उक्त क्षेत्र की तकनीकी ई-निविदा पूर्व घोषित दिनांक के अनुसार दिनांक 21.06.2018 को खोली गयी। प्रतिभागी आवेदकों की तकनीकी ई-निविदा का परिणाम दिनांक 25.06.2018 को घोषित किया गया तथा क्वांटिटी बिड

दिनांक 26.06.2018 को खोली गयी, जिसमें अधिकतम क्वान्टिटी बिड 22,900 टन प्राप्त हुई, जिसका परिणाम दिनांक 28.06.2018 को घोषित किया जाना था। ई-निविदा सह ई-नीलामी समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि एक प्रतिभागी श्रीमती कंचन भट्ट द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र श्रीमती कंचन भट्ट के नाम से न होने तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 22.05.2018 के समादर में कार्यालय आदेश संख्या 266/ई0निवि0सहई0नीला0/2018-19, दिनांक 28 जून, 2018 के द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया।

श्री अब्दुल अलीम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर वाद संख्या 1442/एम0एस0/2018 अब्दुल अलीम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 की सत्यप्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

Petitioner has been able to show enough proof before this court that he furnished the financial capacity of his father and has submitted the solvency certificate as per the conditions of tender. Therefore, the declaration that the petitioner was non-responsive seems to be arbitrary.

This writ petition is allowed. Respondent state shall proceed with the auction proceedings and shall also consider the bids of the petitioner in accordance with law. Interim order dated 22-05-2018 stands vacated.

उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर में यह निर्णय लिया गया कि अन्य हैसियत से सम्बन्धित ऐसे प्रकरणों को स्वीकार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार "प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।"

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 26.06.2018 को खोली गई क्वान्टिटी बिड में प्राप्त बिडस के आधार पर तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के समादर में लिये गये निर्णयानुसार श्रीमती कंचन भट्ट द्वारा प्रस्तुत हैसियत को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण (ई-निविदा) हेतु सफल घोषित किया जाता है तथा प्रश्नगत उपखनिज क्षेत्र ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल, क्षेत्रफल 1.700 है0 हेतु अधिकतम उपखनिज की मात्रा 20,000 टन घोषित की जाती है :-

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई डी/बिडर आई0डी0/पंजीकरण संख्या	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	मै0 अर्जुन सिंह	43743 M180615173233000	20,000 टन
2.	मै0 विरेन्द्र सिंह	43746 M180506211935497	21,300 टन
3.	मै0 कंचन भट्ट	43747 M180216155118913	22,900 टन

जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रायपुर रायघटी अहतमाल, के रिक्त निजी भूमि उपखनिज क्षेत्र, क्षेत्रफल 1.700 है0 हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))


22,900 टन

जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रायपुर रायघटी अहतमाल, के रिक्त निजी भूमि उपखनिज क्षेत्र, क्षेत्रफल 1.700 है0 हेतु द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) (नियम 27 ग के उपनियम-11(5))

= 22,900 X 70 = ₹0 16,03,000 (₹0 सोलह लाख तीन हजार मात्र)।

अतः जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रायपुर रायघटी अहतमाल, के रिक्त निजी भूमि उपखनिज क्षेत्र, क्षेत्रफल 1.700 है0 हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार प्रथम चरण की वित्तीय बोली का परिणाम एवं द्वितीय चरण

(ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) रू0 16,03,000 (रू0 सोलह लाख तीन हजार मात्र) घोषित किया जाता है। उपरोक्त तालिका में इंगित समस्त (तीन) बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु एतद्वारा पात्र घोषित किया जाता है। द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु समय सारणी एवं दिशा-निर्देश शीघ्र विज्ञापित किये जायेंगे।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

संख्या: /ई0निविदा0 सह ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2018-19, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु गठित समिति।
3. सम्बन्धित आवेदक/निविदाकार।
4. सम्बन्धित पत्रावली।


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।